83

|| ओ3म् ||
गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार–249404
(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)
Gurukula Kangri (Deeemed to be University), Haridwar-249404
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.03.2026 की कार्यवाही

दिनांक : 07.03.2026
समय : दोपहर 2.30 बजे
स्थान : कुलपति कार्यालय

उपस्थिति :–

1. प्रो0 प्रतिभा मेहरा लूथरा, कुलपति / सभापति
2. श्री विनय आर्य, प्रायोजित संस्था के प्रतिनिधि / सदस्य
3. श्री विवेक कौशिक, शिक्षा मंत्रालय के नामित प्रतिनिधि द्वारा नामित सदस्य / सदस्य
4. श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधि / सदस्य
5. डा0 एस0 एम0 शर्मा, प्रबन्ध मण्डल के सदस्य / सदस्य
6. प्रो0 सत्यदेव निगमालंकार, कुलसचिव / विशेष आमंत्रित सदस्य
7. प्रो0 वी0 के0 सिंह, वित्ताधिकारी / सचिव, वित्त समिति

ईश वन्दना के उपरान्त सभापति महोदया की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव संख्या–01 : समविश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी तथा पेंशनरों की मृत्यु हो जाने पर शोक।

समविश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी श्री संजय पारे, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष तथा पेंशनर्स श्रीमती भगवती गुप्ता एवं श्री घनश्याम सिंह तथा वित्ताधिकारी प्रो0 वी0के0 सिंह की माताजी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर शोक।

इस सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों ने शोक प्रकट किया तथा दो मिनट का मौन रखा गया।

प्रस्ताव संख्या–02 : वित्त समिति में नये सदस्य एवं नये वित्ताधिकारी का स्वागत।

प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 18.08.2025 की बैठक में डा0 एस0 एम0 शर्मा को आगामी तीन साल के लिये वित्त समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है तथा गुरुकुल कांगडी समविश्वविद्यालय में दिनांक 04.12.2025 से अग्रिम आदेश तक के लिये प्रो0 एल0पी0पुरोहित जी के स्थान पर प्रो0 वी0के0सिंह जी को वित्ताधिकारी पद का दायित्व दिया गया है। अतः वित्त समिति में नये सदस्य एवं नये वित्ताधिकारी का स्वागत है।

वित्त समिति के सभी सदस्यों ने डा0 एम0 एम0 शर्मा, सदस्य वित्त समिति तथा प्रो0 वी0 के0 सिंह, सचिव वित्त समिति/वित्ताधिकारी का स्वागत किया।

प्रस्ताव संख्या–03 : वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 12.07.2025 की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 12.07.2025 को हुई थी जिसकी कार्यवाही सभी मान्य सदस्यों को भेजी जा चुकी है। अभी तक वित्त समिति के किसी भी मान्य सदस्य की तरफ से कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। वित्त समिति में जितने भी प्रस्ताव पारित किये गये थे उन सभी का क्रियान्वयन किया जा चुका है। अतः कार्यवाही सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

(1) उपरोक्त प्रस्तावों के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा फिक्स चिकित्सा भत्ता रू 30,000/– से बढाकर 40,000/– किये जाने के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर कर्मचारियों से एक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दिनांक 01.04.2026 से पूर्व लिया जायेगा।

(2) पी0एफ0 राशि के सन्दर्भ में निर्देशित किया गया कि इस सन्दर्भ में कानूनी कार्यवाही की जाये तथा एक लिखित कानूनी नोटिस पंजाब नेशनल बैंक गुरूकुल कांगडी के उच्चाधिकारियों को दिया जाये जिसमें 5 दिन का समय दे दिया जाये। इस सम्बन्ध में बैंक को पत्र भेज दिया गया है।

प्रस्ताव संख्या–04 : समविश्वविद्यालय के कन्या गुरूकुल, हरिद्वार में छात्राओं के लिये बी.टैक. पाठ्यक्रम चल रहा है जिसमें छात्राओ के लिये क्लासरूम तथा एल शेव में कक्षाओं को बनाये जाने का प्रस्ताव।

समविश्वविद्यालय के कन्या गुरूकुल,हरिद्वार में बी.टैक. पाठ्यक्रम शुरू कर दिये गये हैं। छात्राओं की संख्या को देखते हुए कन्या गुरूकुल हरिद्वार में कक्षाओं की कमी आ रही है, जिससे कक्षाओं का संचालन ठीक प्रकार से नही हो पा रहा है। अतः प्रस्ताव है कि रामदेव भवन के द्वितीय तल पर कक्षाओं का निर्माण कार्य करा लिया जाये। कक्षाओं के निर्माण कार्य को कराये जाने के लिये संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी ने पत्रावली के माध्यम से अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 10 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2026–2027 में 16 लाख तक व्यय पर निर्माण कार्य करा लिया जाये। कक्षाओं के निर्माण कार्य में उपरोक्त राशि कम प्रतीत होती है, अतः प्रारम्भ में लगभग 50 लाख रूपये की राशि से यह कार्य कराया जाना संभावित है।

इसके अतिरिक्त अन्य कक्षाओं के निर्माण कार्य को भी कराया जाना आवश्यक है जो कि कन्या गुरूकुल के साइंस ब्लॉक के सामने एल शेव में भूतल तथा प्रथम तल का भी निर्माण कार्य आवश्यक है। इस कार्य में लगभग 4 करोड का व्यय सम्भावित है। अतः कक्षाओं के निर्माण कार्य को प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से धन उपलब्ध है अतः उपरोक्त दोनो कार्यो को प्रारम्भ किया जा सकता है। अतः सभी सदस्यों की सहमति द्वारा कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर इन कार्यो को कराया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या–05 : समविश्वविद्यालय में तीन अधूरे पडे भवनो के निर्माण कार्य को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय में कम्प्यूटर विज्ञान विभाग की बिल्डिंग, यूसिक बिल्डिंग, तथा कन्या गुरूकुल परिसर, देहरादून में छात्राओं के छात्रावास हेतु अधूरी पडी बिल्डिंग का निर्माण कार्य को पूरा किये जाने पर लगभग 645.00 लाख का व्यय संभावित है। अतः इन भवनो का निर्माण कार्य पूरा किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से धन उपलब्ध है अतः उपरोक्त तीनो कार्यो को प्रारम्भ किया जा सकता है। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों की सहमति से कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर ही उपरोक्त कार्यो को कराया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या–06 : इंजीनियरिंग कालेज के एकेडमिक ब्लॉक के भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगत लि0 को रू 61,26,314.00 को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

इंजीनियरिंग कालेज के एकेडमिक ब्लॉक के भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर चतुर्थ बिल (सिविल कार्य) प्राप्त हुआ है जो कि रू 61,26,314.00 का है। इस बिल के सापेक्ष उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को 25 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान पूर्व में किया जा चुका है जो कि इस बिल से समायोजित किया जायेगा। अतः इस प्रकार कुल राशि रू 36,26,314.00 को ही भुगतान फर्म को किया जाना है। अतः इस बिल का भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध है तथा वित्त कार्यालय द्वारा बिल की जांच की जा चुकी है। अतः इस बिल का भुगतान किया जाना है। वित्त समिति के सभी सदस्यों की सहमति से कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर बिल का भुगतान किया जाना चाहिये।

प्रस्ताव संख्या–07 : ओ.बी.सी. अनुदान से सम्बन्धित भवनों की पत्रावलियों में मान्या कुलपति जी की स्वीकृति हेतु हस्ताक्षर किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को ओ.बी.सी. अनुदान से सम्बन्धित उपयोग प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने से पूर्व उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को दिये गये अग्रिम धन का समायोजन किया जाना था, जिसके फलस्वरूप दस पत्रावली स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई थी। अपरिहार्य कारणों से इन पत्रावली में तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति प्रो0 अम्बुज शर्मा जी के हस्ताक्षर नही हो पाये थे। अतः वर्तमान में मान्या कुलपति महोदया के हस्ताक्षर किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

इस सन्दर्भ में मान्या कुलपति महोदया द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण से अवगत कराया गया। वित्त समिति के सभी सदस्यो ने अवगत कराया कि यदि पूर्व कुलपति द्वारा यह हस्ताक्षर नही हुए है तो वर्तमान कुलपति महोदया द्वारा हस्ताक्षर किये जाने में कोई आपत्ति नही है जिससे कि पत्रावली की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। इस सन्दर्भ में मान्या कुलपति महोदया द्वारा सूचित किया गया कि सभी (10 फाईल) के लिये गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त हस्ताक्षर किये जाने चाहिये।

प्रस्ताव संख्या–08 : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा भवनों के कार्यो को पूर्ण किये जाने पर रू 18,20,829.00 का शेष भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कन्या गुरूकुल हरिद्वार में तीसरी मंजिल के साइंस ब्लाक के निर्माण में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग देहरादून ने सूचित किया है कि इन भवनों पर कुल रू 18,20,829.00 की राशि शेष है। अतः इस भुगतान को किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से धन उपलब्ध है अतः उपरोक्त कार्यो के बिलों का भुगतान किया जा सकता है। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों की सहमति से कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर ही यह भुगतान किया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या–09 : उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा चार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है लेकिन उनके बिल अभी प्राप्त नही है। अतः इन भवनों पर होने वाले व्यय रू 74.00 लाख के व्यय की स्वीकृति हेतु।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा समविश्वविद्यालय में इतिहास विभाग, आर्ट्स विभाग, प्रशासनिक कार्यालय की पार्किंग तथा कम्प्यूटर केन्द्र में टॉयलेट के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये गये है जिसमें से इतिहास विभाग के भवन का बिल प्राप्त होकर चैक कर लिया गया है जिस पर 3.65 लाख का भुगतान किया जाना है। इसी प्रकार प्रशासनिक भवन की पार्किंग का बिल प्राप्त हो चुका है जो कि 7.98 लाख का है लेकिन इस बिल को वर्तमान में चैक किया जा रहा है, शेष आर्टस विभाग की बिल्डिंग का बिल रू 55.01 लाख तथा कम्प्यूटर केन्द्र में टायलेट निर्माण का बिल रू 7.25 लाख का सम्भवित है। अतः उपरोक्त चारों कार्यो पर लगभग 74.00 लाख के व्यय की सभावना है। अतः भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत आन्तरिक प्राप्तियों से धन उपलब्ध है। अतः उपरोक्त चारों कार्यो का बिल प्राप्त होने पर भुगतान किया जा सकता है। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों की सहमति से कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त बिलों का भुगतान किया जाना चाहिये।

प्रस्ताव संख्या–10 : इंजीनियरिंग कालेज में निर्मित छात्रावास के प्रथम तल पर छात्रावास हेतु कमरो के निर्माण के सम्बन्ध में।

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में निर्मित छात्रावास के प्रथम तल पर लगभग 15 कमरों को बनाये जाने पर लगभग एक से सवा करोड का व्यय संभावित है जिससे भविष्य में छात्रावास से प्रतिवर्ष 7.50 लाख की आय होगी। अतः छात्रावास में कम से कम 15 कमरों के निर्माण कार्य को कराये जाने पर विचार।

इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध है तथा छात्रावास के प्रथम तल पर कमरों का निर्माण कार्य कराया जाना उचित है ताकि समविश्वविद्यालय की आय में वृद्धि हो सके। इस सन्दर्भ में यह भी अवगत कराया गया कि समविश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति द्वारा भी यह कार्य कराया जाना स्वीकृत कर लिया गया है। अतः वित्त समिति के

सभी सदस्यों की सहमति से कहा गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को कराया जा सकता है।

प्रस्ताव संख्या–11 : समविश्वविद्यालय में नये कोर्स खोलने पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय में आगामी सत्रों में नये पाठ्यक्रम खोले जाने हैं। लगभग 15 नये पाठ्यक्रम खोले जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में सुझाव है कि प्रत्येक नये कोर्स के लिये दो लाख सीड मनी के रूप में दे दिये जायें, इस प्रकार 15 नये पाठ्यक्रमों पर 30 लाख का व्यय संभावित है। अतः सीड मनी के रूप में 30 लाख रूपये दिये जाने पर विचार।

इस सन्दर्भ में मान्या कुलपति महोदया तथा वित्ताधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नये पाठ्यक्रम खोलने पर आगामी वर्षो में आय में वृद्धि होगी। अतः प्रारम्भ में लगभग आठ से दस नये पाठ्यक्रम चलाये जाने पर शिक्षा पटल की बैठक में सहमति हुई है। इस सन्दर्भ में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि इन पाठ्यक्रमों को चलाये जाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय को पाठ्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव भेजकर सहमति लिया जाना आवश्यक होगा। अतः वित्त समिति के सभी सदस्यों ने इन पाठ्यक्रमों को चलाये जाने के लिये स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत ही धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

प्रस्ताव संख्या–12 : लेखा पुस्तकों के वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आडिट के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय में निदेशक, लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ, शाखा कार्यालय प्रयागराज की टीम ने दिनांक 18.07.2025 से 26.07.2025 तथा दिनांक 30.12.2025 से 09.01.2026 के मध्य आडिट का कार्य सम्पन्न किया गया है। समविश्वविद्यालय में उपरोक्त दिनांक पर हुए आडिट की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः वित्त समिति के समक्ष आडिट रिपोर्ट अंकन हेतु प्रस्तुत है।

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आडिट के सन्दर्भ में वित्त समिति के मान्य सदस्य डा0 एस0 एम0 शर्मा जी द्वारा अवगत कराया गया कि आडिट टीम ने आडिट रिपोर्ट के अन्तर्गत कई आपत्तियां की है जिसमें विशेषकर आंकडो को परिवर्तित करना, शेड्यूल में परिवर्तन करना, आन्तरिक आडिट न होना, बैलेंस सीट को दो भागों में बनाना तथा कर्मचारियों के दिये गये आगाऊ को समायोजित न करना आदि है। अतः इन आपत्तियों को दूर करना आवश्यक है तथा इसका उत्तर समय से दिया जाना अपेक्षित है। मान्या कुलपति महोदया तथा वित्तधिकारी महोदय ने आदेशित किया कि इन आपत्तियो का जवाब वित्त कार्यालय 15 दिन के अन्दर बनाकर आडिट कार्यालय को भेजा जाये।

प्रस्ताव संख्या–13 : समविश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन दिये जाने हेतु कॉरपस फन्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से कभी–कभी विलम्ब से अनुदान प्राप्त होता है, जिससे समविश्वविद्यालय के कर्मचारियों को समय से वेतन एवं पेंशन का भुगतान नही हो पाता है। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वेतन एवं पेंशन का अनुदान विलम्ब से मिले तो इसके लिये पांच करोड रूपये का एक कॉरपस फन्ड बना दिया जाये ताकि समय से कर्मचारियों को

वेतन पेंशन का भुगतान किया जा सके। इसी प्रकार स्व–वित्त पोषित वर्ग में भी वेतन का भुगतान किये जाने हेतु कॉरपस फन्ड बनाये जाने पर विचार।

इस सन्दर्भ में वित्ताधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कभी–कभी यू.जी. सी. से अनुदान मिलने में देरी हो जाती है अतः वेतन एवं पेंशन को समय से दिये जाने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अतः इस सन्दर्भ पांच करोड का कारपस फन्ड बनाया जाना उचित होगा ताकि समय पडने पर कम से कम आधी सैलरी समय से दी जा सके। इस सन्दर्भ में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री विवेक कौशिक जी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि कारपस फन्ड आन्तरिक प्राप्तियों से बनाया जाता है तो इसकी स्वीकृति शिक्षा मंत्रालय से तथा यदि कारपस फन्ड सरकारी अनुदान से बनाया जाता है तो इसकी स्वीकृति वित्त मंत्रालय से ली जानी आवश्यक है। अतः इस सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि कारपस फन्ड को आन्तरिक प्राप्तियों से बनाया जाये तथा इसकी स्वीकृति शिक्षा मंत्रालय से ले ली जाये।

स्ताव संख्या–14 : समविश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, कोर्डिनेटर एवं कुलसचिव की त्तीय शक्तियों को बढाये जाने के सम्बन्ध में।

समविश्वविद्यालय में वर्तमान समय में निम्न वित्तीय शक्तियां प्राप्त है :–

1. विभागाध्यक्ष – रू 5,000/–
2. कोर्डिनेटर/संकायाध्यक्ष – रू 7,000/–
3. कुलसचिव – रू 10,000/–

उपरोक्त वित्तीय शक्तियों को निम्नानुसार बढाये जाने का प्रस्ताव है :–

1. विभागाध्यक्ष – रू 10,000/–
2. कोर्डिनेटर/संकायाध्यक्ष – रू 15,000/–
3. सम्पदा विभाग – रू 20,000/–
4. कुलसचिव – रू 25,000/–

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्त प्रस्ताव को वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा सहर्ष स्वीकृत किया गया।

ताव संख्या–15 :– समविश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त एवं सेवाकाल के दौरान देहावसान स्थायी चारियों को आर्थिक सहायता के रूप में मदद करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत हैं :–

1. सेवा निवृत्त होने वाले स्थायी शिक्षकों एवे शिक्षकेत्तर कर्मचारियो को सेवानिवृत्ति की तिथि को एक मोमेन्टो, एक शॉल तथा बुके के रूप में अधिकतम रू 3000/– की राशि का व्यय किया जाना।
2. सेवाकाल के दौरान देहावसान होने वाल स्थायी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के परिवास को आर्थिक सहायता के रूप में रू 20,000/– की सहायता राशि समविश्वविद्यालय की ओर से नॉन रिफन्डेबल रूप में दिये जाने हेतु।

उपरोक्त प्रस्ताव के कमांक–01 को स्वीकृत किया गया तथा कमांक–02 के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री विवेक कौशिक जी द्वारा बताया गया कि रू 20,000/– को दिये जाने के सम्बन्ध में स्व–वित्त पोषित वर्ग से एक कर्मचारी कल्याण कोष का निर्माण करने पर ही इस धनराशि को दिया जाना चाहिये। अतः निर्णय लिया गया कि

स्व–वित्त पोषित वर्ग से कर्मचारी कल्याण कोष का निर्माण करने पर ही यह राशि कल्याण कोष के धन से ही निर्गत की जाये।

प्रस्ताव संख्या–16 : समविश्वविद्यालय की शनि मन्दिर के पास खाली पडी भूमि पर अतिथि गृह/छात्राओं के छात्रावास बनाये जाने पर विचार।

शनि मन्दिर के पास खाली पडी भूमि पर प्रस्ताव है कि इस भूमि में समविश्वविद्यालय का अतिथि गृह अथवा छात्राओं का छात्रावास बना दिया जाये ताकि खाली पडी भूमि का सदुपयोग समविश्वविद्यालय कर सके। इस कार्य में लगभग 1.50 करोड का निवेश किया जाना प्रस्तावित है ताकि भविष्य में इस भूमि पर अन्य निर्माण कार्य कराये जा सके। प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री विनय आर्य जी ने कहा कि इस भूमि पर जो भी निर्माण कार्य कराया जाये उसका पूरा विवरण तैयार कर लिया जाये तथा यह भी ध्यान में रखा जाये कि निर्माण कार्य से समविश्वविद्यालय की आय में वृद्धि हो। इस सन्दर्भ में डा0 श्वेतांक, उपकुलसचिव द्वारा विस्तार से इस प्रस्ताव को बताया गया। अतः वित्त समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि इस पूरे प्रस्ताव को विस्तार से बनाकर वित्त समिति के सभी सदस्यों को भेजा जाये ताकि इस भूमि का उपयोग समविश्वविद्यालय कर सकें।

प्रस्ताव संख्या–17 : अन्य प्रस्ताव – सभापति महोदय की आज्ञा से।

17(1)– प्रो0 हेमलता के., सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सेवानिवृत्ति लाभों को दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त समिति के सभी सदस्यों ने गहन विचार–विमर्श करके बताया कि यदि सेवानिवृत्ति लाभों से धन की रिकवरी करनी है तो ग्रेच्युटी अथवा पेंशन कम्यूटेशन की एक राशि को रोका जा सकता है। कर्मचारी की पेंशन राशि को तुरन्त ही जारी करना आवश्यक है ताकि उसके परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पडे। अतः उपरोक्त निर्णय को वित्त समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

17(2)– अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में 13 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सातवां वेतनमान तथा वेतन वृद्धि को दिये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट तथा गठित समिति के अध्यक्ष, संयोजक तथा सदस्यों से गहन विचार करने के उपरान्त श्री विनय आर्य जी ने कहा कि कार्य के लिये इस कमेटी के अलावा यदि कोई और अन्य कमेटी इस कार्य के लिये बनी हो तो अवगत कराया जाये। इस सम्बन्ध में मान्या कुलपति महोदया ने अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में अन्य कोई कमेटी नही बनी है। वित्त समिति के सभी सदस्यों ने कहा कि आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में इस प्रस्ताव को सम्पूर्ण विवरण के साथ रखा जाये।

17(3)– समविश्वविद्यालय में बनाई गई एफ.डी. का ब्याज समविश्वविद्यालय के विकास कार्यो में उपयोग किये जाने पर वित्त समिति के कहा कि इस निधि का उपयोग केवल विकास कार्यो में ही किये जाने पर सहमति दी गई।

17(4)– प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त प्रोफेसर) को समयपूर्व सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मान्या कुलपति महोदया द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण से वित्त समिति के सभी सदस्यों को अवगत कराया गया तथा वित्त समिति के सदस्यों ने कहा कि यह प्रकरण प्रबन्ध मण्डल की बैठक से सम्बन्धित है। अतः वित्त समिति

के सभी सदस्यों ने कहा कि इस प्रकरण को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में रखा जाये।

शान्तिपाठ के साथ बैठक समाप्त की गई।

(प्रो0 वी0 के0 सिंह)
वित्ताधिकारी एवं सचिव, वित्त समिति